

नोटिस**विषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में**

केन्द्रीय बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश नियमावली, 1957 के नियम -8 के उपनियम - (13) के प्राविधानों के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी जिन्हें निम्न क्रमांक के फार्म-सी, वाणिज्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुए प्राप्त हुए थे, खो जाने / नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुयी है। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा:-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	सर्वश्री अहलूवालिया सेल्स कारपो० हींग की मण्डी, आगरा	फार्म- 'सी' संख्या- 0579861 एवं- 0579862	खोने के कारण	02
02	सर्वश्री इन्दौर सेल्स कारपो०, हींग की मण्डी, आगरा	फार्म- 'सी' संख्या- 0592933 से 0592937 तक	खोने के कारण	05
03	सर्वश्री विनोद सेनेटरी एण्ड हार्डवेयर गांधी नगर, महोबा	फार्म- 'सी' संख्या-0183999 एवं 0184000	खोने के कारण	02
04	मेसर्स दी इन्डियन टायर ट्रेडर्स, गोलगड्डा, वाराणसी	फार्म- 'सी' संख्या-0931204, 0931205, 0931206 एवं 0931207	गुम हो जाने के कारण	04

ह०/-

(यू०सी० दीक्षित)

एडीशनल कमिशनर (विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

पृ०प०सं० एव दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, 30प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, 30प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, 30प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 4- समस्त आयुक्त व्यापार कर/ वैट/ वाणिज्य कर / आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भारत सरकार के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित संघों को ।
- 5- महालेखाकार, 30प्र० 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 6- समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 8- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि०अनु०शा०/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 9- समस्त डिप्टी कमिशनर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 10- ज्वाइन्ट कमिशनर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद, लखनऊ ।
- 11- समस्त असिस्टेंट कमिशनर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों ।
- 12- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय ।
- 13- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
- 14- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

ह०/-

(सुशील कुमार दुबे)

असिस्टेंट कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय ।